भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 17

दिनांक 02 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्र

***17. श्री जी सेल्वम:**

श्री धनुष एम कुमार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के माध्यम से देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में असफल रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश के ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 02 फरवरी, 2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *17 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

****

(क) भारत में (15.01.2024 तक) कुल 1,64,043 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) [अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) के रूप में पुनर्नामित] स्थापित और कार्यशील किए गए हैं।

(ख) से (घ) जी, नहीं। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसे अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के रूप में जाना जाता है, के माध्यम से देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए कई पहलें की हैं और उनमें कई सफल रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनएचएम के तहत यह सहायता राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों में वृद्धि करने के लिए प्रदान की जाती है। इस प्रकार की सहायता में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं में सुधार, स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, दवाओं और निदान की उपलब्धता और एनएचएम के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए तकनीकी सहायता शामिल है।

सरकार ने चार मिशन मोड परियोजनाएं अर्थात् पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम), आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) पूर्व में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (एबी -एचडब्ल्यूसी), प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) शुरू की हैं।

माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। पीएम-एबीएचआईएम के तहत उपायों में प्राथमिक, माध्यमिक और विशिष्ट सभी स्तरों पर निरंतर देखभाल प्रदान करते हुए स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ताकि वर्तमान और भावी महामारियों/आपदाओं का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार किया जा सके। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग (एफसी-XV) में स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट घटकों के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से 70,051 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की गई है। स्थानीय सरकारों के माध्यम से स्वास्थ्य

के लिए ये अनुदान वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच वर्ष की अवधि में जारी किए जाएंगें और ये जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने में सहायक होंगे ।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वंचित ग्रामीण परिवारों और शहरी श्रमिकों के परिवारों की चिह्नित व्यावसायिक श्रेणियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। पीएमजेएवाई डैशबोर्ड के अनुसार, 30.01.2024 तक, ऐसे लाभार्थियों के लिए 30.82 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। इसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष (फैमिली फ्लोटर आधार पर) 5,00,000 रुपये का लाभ कवर प्रदान किया जाता है। सेवाओं में उपचार से संबंधित सभी लागतों को कवर करने वाली विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिसमें दवाएं, आपूर्ति, नैदानिक सेवाएं, चिकित्सक की फीस, कमरे का शुल्क, सर्जन शुल्क, ओटी और आईसीयू शुल्क आदि शामिल हैं।

एनएचएम के तहत प्रदान की गई सहायता में, अन्य बातों के साथ-साथ, संविदा आधार पर स्वास्थ्य मानव संसाधनों का नियोजन, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं, मोबाइल चिकित्सा इकाइयां, आशाकर्मी, बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, मौजूदा उप केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का रूपांतरण करके एएएम का सृजन, 24x7 सेवाएं और प्रथम रेफरल सुविधाएं, मेरा अस्पताल, कायाकल्प पुरस्कार योजना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम राष्ट्रीय, गुणवत्ता आश्वासन मानक कार्यान्वयन और संबंधित कार्यकलाप, लक्ष्य प्रमाणन, जैव चिकित्सा उपकरण रख-रखाव और प्रबंधन कार्यक्रम, मुफ्त निदान सेवा पहल, मुफ्त दवा सेवा पहल और हाइपरटेंशन, मधुमेह, सवार्इकल कैंसर आदि जैसे गैर संक्रामक रोगों के लिए स्क्रीनिंग शामिल है। इसके अतिरिक्त, गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए, मिशन परिवार विकास, किशोर/किशोरी अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिक (एएफएचसी), साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन (डब्ल्यूआईएफएस), मासिक धर्म स्वच्छता स्कीम, सुविधा केन्द्र आधारित नवजात परिचर्या (एफबीएनसी), गृह आधारित नवजात परिचर्या कार्यक्रम, निमोनिया को निष्प्रभावी करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई (एसएएएएनएस), छोटे बच्चों के लिए गृह आधारित परिचर्या (एचबीवाईसी), राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके), प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास (ईसीडी), व्यापक गर्भपात देखभाल (सीएसी), एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यनीति, पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) कार्यक्रम के लिए सहायता प्रदान की जाती है। सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

*****